


- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किये एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उप दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती हैं। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
कुडावा	156	सोहनी डेवी पत्नी	543	0.02	सोहनी डेवी पत्नी	543	0.02
		डुम्भाराम जाली	544	0.12	डुम्भाराम जाली	544	0.12
		जाद सा. डेह	545	4.57	जाद सा. डेह	545	4.57
		खालसा			खालसा		
		शेख उदल्लू	3	4.71	शेख उदल्लू	3	4.71


क्रमांक :- 359
20/10/21
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर


 शिविर प्रभारी
 (अति.जिला कलक्टर, डीडवाना)
 (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
 दिनांक :-

क्रमांक :-
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हत्का कुडावा को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थान नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।


 शिविर प्रभारी
 (अति.जिला कलक्टर, डीडवाना)
 PCKSA-2021, प.स. मौलासर
 दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर